न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 141/2020

उनवान

1. सुनिल पुत्र सीताराम
2. अनिल पुत्र सीताराम जाति अग्रवाल निवासी 14, गांधी चौक, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामधन पुत्र मांगू जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
2. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
2 अनुपस्थित
3. जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

–: निर्णय :– दिनांक :– 16.08.21

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम व भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देराठू की निम्न आराजी का राजस्व अभिलेख अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3992 मिन	0.54	1526	054
3992 मिन	1.68	1527	1.68
3985 मिन	1.10	1521	1.10
3985 मिन	0.03	1523	0.03

उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 3985 हाल खसरा नम्बर 1521 रकबा 1.10 में तत्कालीन खातेदार रामधन पुत्र मांगू व अन्य सह खातेदार द्वारा वादी संख्या 2 को दिनांक 19.05.03 को अपना हिस्सा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र व वर्किंग खसरा नम्बर 3992 के वर्किंग खसरा नम्बर 3992 के हाल खसरा नम्बर 1527 रकबा 1.68 में तत्कालीन खातेदार रामधन पुत्र मांगू व अन्य सह खातेदरों ने अपना हिस्सा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 27.08.09 को वादी संख्या 1 को बैचान कर दिया था। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर विक्रेतागण का हिस्सा वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया कि पुनः वादी संख्या 1 ने अपना हिस्सा वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:14 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

...ा 2 के नाम रहन रख दिया जिस कारण उसके द्वारा विक्रय की गयी भूमि का अंकन ...गण के नाम नही किया गया। आराजी मुतनाजा विक्रय करने के बावजूद हाल राजस्व ...लेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जा रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुताजा पर रामधन पुत्र मांगू प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का खातेदार वादीगण को विक्रय पत्र अनुसार घोषित किया जावे तथ प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रतिवादी संख्या 3 जरियें राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र अनुसार हाल खसरा नम्बर 1527 व 1521 में रामधन का हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जाता है तो राजहित प्रभावित नही होता है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1526 व 1527 के संबध में श्रीमान् के समक्ष राजस्व प्रकरण संख्या 70/2020 शकुन्तला बनाम रामधन का वाद पूर्व में विचाराधीन है। एक ही खसरा नम्बर के दो वाद चलने योग्य नही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी का विक्रय नही किया है। वादीगण ने उक्त वाद फर्जी तरीके से कूट रचना करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि हडपने के लिये किया है। उक्त आराजी पर जवाबकर्ता कदीम से काबिज है तथा राजस्व अभिलेख में उसके नाम दर्ज होने के कारण उसके द्वारा ऋण लिया गया है। अतः वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

वाद विचारण के दौरान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया व जाहिर किया कि पक्षकरान के मध्य राजीनामा हो गया है वादीगण का वाद डिकी किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। उक्त आराजी का वाद डिकी होने के बाद मैरे द्वारा उक्त आराजी रहनमुक्त करवा दी जावेगी। अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर इसी स्तर पर प्रकरण का निस्तारण करना चाहा।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.34 राजस्व अभिलेख में रामधन पुत्र मांगू 1/6 हिस्सा व सुनील पुत्र सीताराम 5/6 हिस्सा तथा हाल खसरा नम्बर 1521 रकबा 1.10 राजस्व अभिलेख में अनिल कुमार पुत्र सीताराम 4/11 हिस्सा, रामधन पुत्र मांगू 4/55 हिस्सा व अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा दो विक्रय पत्र दिनांक 27.08.09 व 19.05.03 द्वारा वादीगण को बैचान कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र में अन्य विक्रेतागण का हिस्सा विक्रय पत्र अनुसार केता के नाम दर्ज हो गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा केतागण के नाम दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर अपनी अन्य खातेदारी भूमि के साथ प्रतिवादी संख्या 2 से ऋण प्राप्त कर लिया। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रहन दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा वादीगण के नाम विक्रय पत्र अनुसार दर्ज नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर आराजी मुतनाजा में अपना हिस्सा वादीगण को विक्रय कर कब्जा व दखल [illegible] था। अतः उसके द्वारा लिया गया ऋण व प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहन का प्रभाव वादीगण के हि[illegible] उक्त आराजी रहन रखने का प्रतिवादी 1 व 2 को कोई [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में राजीनामा पेश कर जाहिर किया है कि वाद डिकी होने [illegible] उक्त आराजी रहन मुक्त करवा दी जावेगी। प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने भी वाद का खण्डन पेश नही किया है। वादग्रस्त [illegible] बेचान आदि पंजीकृत विक्रय पत्र किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता से इ[illegible] नही किया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादीगण

---3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

मुतनाजा पर विकय पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर खातेदारी प्राप्ति के कारी है।

अतः ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1521 रकबा 1.10 व 1527 रकबा 0.34 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.34 पर रामधन पुत्र मांगू के हिस्से का खातेदार सुनील पुत्र सीताराम को व हाल खसरा नम्बर 1521 रकबा 1.10 की आराजी पर रामधन पुत्र मांगू के हिस्से का खातेदार अनिल कुमार पुत्र सीताराम को घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 राजीनामा अनुसार उक्त आराजी रहन मुक्त कराये तथा तहसीलदार नसीराबाद रहनमुक्ति के बाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्राई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुनील बनाम रामधन

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 141 / 2020
पेश करने की दिनांक – 09.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर सीताराम रावत अभिभाषक मुद्दई हीरालाल माली व राज पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1521 रकबा 1.10 व 1527 रकबा 0.34 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.34 पर रामधन पुत्र मांगू के हिस्से का खातेदार सुनील पुत्र सीताराम को व हाल खसरा नम्बर 1521 रकबा 1.10 की आराजी पर रामधन पुत्र मांगू के हिस्से का खातेदार अनिल कुमार पुत्र सीताराम को घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 राजीनामा अनुसार उक्त आराजी रहन मुक्त कराये तथा तहसीलदार नसीराबाद रहनमुक्ति के बाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— — —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 16 माह 08 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner